

18.6.18

उपखण्ड अधिकारी


पगवली डाक केंद्र कोर्ट पोसाका में फेश दुई पगवली का अपलोडिंग किया गया। राजपल मिर्काड लकावली के अनुकार ग्राम लंतपुरा की सरहद में ग्राम ख.न. 812 रकबा 2.90 है। अवास्थित है। उक्त वर्गित ग्राम से मुक्त खातेदारी की ग्राम है तथा ग्राम का विधिवत विभाजन नहीं हो रहा है। वादीगण के उ उक्त वर्गित ग्राम के मिर्काड खातेदार कारलाकार होकर काबिल है। धारा 53 के प्रावधान अनुसार उक्त मिर्काड खातेदार अपने हिस्से में अंकित ग्राम ग्राम का विधिवत विभाजन करवाने के अधिकारी है।

आदेश

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिक डिप्टी इंसपेक्टर की दी जाती है कि ग्राम लंतपुरा की सरहद में स्थित ग्राम ख.न. 812 रकबा 2.90 है। में वादीगण का दर्प हिस्सा रकबा के अनुसार शस्य का विभाजन रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार लक्ष्मीबाई उदयपुरवादी उग्रय पेशों की उपास्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा ग्राम नक्शा के दो प्रतिभों में न्यायालय द्वारा में प्रस्तुत करें। डिप्टी पंच जारी है।

पगवली कंसल शुकर होकर गमबर के काम हो तथा दारिद्र्य फल रहे।

विषय डाक डिप्टी 18.6.18 को केंद्र कोर्ट पोसाका में सुनाया गया।

  
**उपखण्ड अधिकारी**  
 उदयपुरवादी (ग्राम)